वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री इलबीर सिंह) (क) और (ख) : मार्च 1990, मार्च 1991 और सितम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में श्रेणीवार बकाया और अतिदेय अग्रिम निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	बकाया धनराशियां			अतिदेय धनराशियां		
	मार्च, 1990	मार्च, 1991	सित०, 1991	मार्च, 1990	मार्च, 1991	सित०, 1991
बड़े और मझोले उद्योग	32549	37842	34247	4277	4765	4681
लघु उद्योग	15198	16856	15600	3075	3551	3579
कृषि	16603	16739	16252	3451	3294	3558
अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र	8157	8845	8601	2516	2737	2778
अन्य सभी	25184	30521	27779	2328	2974	3371
जोड़ :	97692	110802	102480	15646	17320	17967

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों की अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली संबंधी कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. बैंकों पर एक ओर जरूरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के दुर्लभ संसाधनों के पुनर्विनियोग में मदद करने और दूसरी ओर ऋणदाता बैंकों की उत्पादकता और अर्थक्षमता में सुधार करने के विचार से एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली प्रारंभ करने पर बल दिया है ।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को बड़े अग्रिमों की निगरानी करने के लिए अपना व्यक्तिगत ध्यान देने को कहा है ।

3. अलग-अलग अग्रिमों की उनकी प्रभावी रूप से निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन से स्थिति दर्शाने के लिए एक विस्तृत और समान श्रेणीवार प्रणाली का प्रारंभ करना ।

4. बोर्ड स्तर पर उच्च अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना ।

5. अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना जिन मामलों में उनकी लापरवाही, अक्षमता आदि के कारण अग्रिमों का अवरुद्ध होना पाया गया है ।

Finance Commission for Development of Kutch and Saurashtra

2295. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of FINIANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have submitted a proposal to set up a separate Finance Commission for the development of Kutch and Saurashtra for its prolonged pending issue: and

(b) if so, what is Central Government's reaction thereto and what action has been taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.